


11.11  
20

V  
पत्रावली प्रस्तुत। पकील पक्षकारान  
उपस्थित। मूल वाद पत्र प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी  
स्वीकार किया जाकर खारिज किया  
जा चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र  
के विचारण का कोई औचित्य नहीं  
है, फलतः हस्तगत प्रार्थना पत्र  
सतद्वारा खारिज किया जाता है।

पत्र खली फैसल शुमार होकर  
वाद तकमील नंबर से कम होकर  
दरखिल दफतर हो।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।)

  
11.11.20